न्यायालय् सिविल जज (जू0/डि0), अतर्रा बांदा

मूलवाद संख्या–63/2020

गोरेलाल आदि बनाम शारदा प्रसाद आदि

दिनांक–04.04.2023

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। पत्रावली आज निस्तारण प्रार्थनापत्र 96क2/ 98ग2 हेतु नियत है।

निस्तारण प्रार्थना पत्र संख्या 96क2

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र कागज सं0 96क2 मय शपथपत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उक्त वाद में वाद लम्बन की अवधि में प्रतिवादी सं0 1 शारदाप्रसाद की मृत्यु हो गयी है, प्रतिवादी सं0 4 पहले से पक्षकार मुकदमा है, प्रतिवादी सं0 1 के शेष विधिक वारिसान को प्रतिस्थापित कर तथा प्रतिवादी सं0 1 के सामने फौत दौरान मुकदमा लिखे जाने का संशोधन किये जाने की याचना की गयी है। प्रार्थीगण ने जानबूझकर उपरोक्त वाद में प्रतिस्थापन प्रार्थनापत्र देने में देरी नहीं की है। प्रतिवादीगण द्वारा कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रतिस्थापन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने में हुयी देरी को क्षमा करने हेतु प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम कागज सं0 98ग2 दाखिल किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रतिवादी सं0 1 शारदाप्रसाद की मृत्यु दौरान मुकदमा हो गयी है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर वाद की कार्यवाही मृतक के विधिक वारिसानों/आश्रितों पर ही जीवित होती है, मृतक प्रतिवादी सं0 1 के स्थान पर अखिलेश, वेंकटेश, बृजेश को प्रतिस्थापित किया जाना न्यायोचित प्रतीत हो रहा है, क्योंकि प्रतिस्थापन व संशोधन से वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है। प्रार्थीगण द्वारा प्रतिस्थापन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने में हुयी देरी के बावत धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रतिस्थापन प्रार्थनापत्र के देरी से प्रस्तुत किये जाने पर इसकी पूर्ति हर्जे से की जा सकती है, ऐसी स्थिति में वादपत्र में प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र के आधार पर मृतक प्रतिवादी सं0 1 के स्थान पर उसके विधिक वारिसान को प्रतिस्थापन कर तथा मृतक के सामने दौरान मुकदमा फौत लिखकर संशोधन करना मात्र एक औपचारिक प्रकृति है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र 96क2 हर्जे पर स्वीकृत किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम कागज सं0 98ग2 स्वीकृत करते हुये प्रार्थीगण का प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र 96क2 हर्जा 200/– रूपये पर स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थीगण वादपत्र 4क1 में वांछित संशोधन अन्दर पन्द्रह दिवस करें। बाद संशोधन पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 18.04.2023 को पेश हो।

सिविल जज (जू0डि0) अतर्रा
बांदा ।